File No.6(399)SP/2019/

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तहसील मालपुरा जिला टोंक

फा.सं. 6(399)ES/2019/ दिनांक 16.03.2021

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के शॉपिंग सेन्टर की सभी दुकानों को 03 वर्ष के लिए अधिकतम किराया के आधार पर किराये पर देने कर प्रस्ताव है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म प्रति माह के हिसाब से अपना अधिकतम किराया प्रस्ताव मुहरबन्द लिफाफे में संस्थान के निदेशक महोदय को दिनांक 07.04.2021 सायं 3.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। मुहरबन्द लिफाफे के साथ प्रति दुकान अमानत राशि रू. 5000/– (दुकान के मीटर सिक्यूरिटी राशि रू. 2500/– एवं दुकान सिक्युरिटी राशि रू. 2500/–) अक्षरे–पॉच हजार रूपये मात्र ICAR Unit CSWRI के नाम Bank Account No.51066000084 IFSC Code-SBIN0031088 से डिमांड ड्राफ्ट/NEFT/FDR अविकानगर के नाम से देय हो जमा करवाना होगा। बिना अमानत राशि कोई भी निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। निविदाएं उसी दिन सायं 3.00 बजे स्वंय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निम्न सारणी में प्रस्तावित दुकानें किसी भी कार्य दिवस में स्वयं उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

क्र.सं0	*दुकान नम्बर*	*न्यूनतम किराया*	*दुकान की किस्म*
1.	दुकान नं. 01	1050/–	फार्मेसी/दवाईयॉ
2.	दुकान नं. 02	1050/–	ज्यूस/फास्ट फूड/चाय/नमकीन आदि
3.	दुकान नं. 03	1050/–	सब्जी, दूध, आईसक्रीम
4.	दुकान नं. 04	1050/–	किराणा सामग्री, ग्रोसरी आईटम, स्ट्रेशनरी
5.	दुकान नं. 05	800/–	विधुत आईटम एवं विधुत संबंधित रिपेयर
6.	दुकान नं. 06	800/–	सेलून/ब्यूटी पार्लर/कपडों की प्रेस
7.	दुकान नं. 07	800/–	दुपहिया वाहन रिपेयर एवं पंचर आदि
8.	दुकान नं. 08	800/–	चक्की/टेलरिंग कार्य/Apparal shop

निविदा से संबंधित नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा सूचना ऑफलाईन प्रकिया से 21 दिन का समय देते हुए उच्चतम दर के आधार पर आवंटित करने क्रय अनुभाग में स्थापित टेंडर बॉक्स में आमंत्रित की जा रही है। उच्चतम (H1) दरदाता दुकान का आवंटन किया जावेगा।
2. संस्थान की दुकानों को 03 वर्ष के लिए आवंटन किया जायेगा। इसमें परिवर्तन को अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित है।
3. आवंटित फर्म/व्यक्ति द्वारा दुकान को संचालित किया जायें तथा जिन निर्धारित वस्तुओं की बिक्री के लिए आवंटन है, उन्हीं वस्तुओं की बिक्री/सेवाएँ प्रदान की जावेगी। अन्य अतिक्ति वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. आवंटित दुकान को अन्य व्यक्ति के साथ उप–किरायेदारी (Subletting) की इजाजत नहीं होगी। दुकान आवंटन से पूर्व सुरक्षा राशि 5000/–(रू.2500/– दुकान सिक्यूरिटी एवं रू.2500/–मीटर सिक्यूरीटी) डीडी/ NEFT/FDR के माध्यम से जमा करवाई जाये, जो कि आवंटन प्रकिया पूर्ण होने अथवा दुकान खाली करने के समय लौटाई जावेगी।
5. मासिक किराया अग्रिम जमा करवाया जाये अथवा माह के अंतिम तारीख में आवश्यक रूप से जमा किया जाना चाहिए अन्यथा प्रति दिन 5/– की दर से विलम्ब शुल्क जमा करवाना होगा।
6. आवंटन तारीख से 03 दिवस के भीतर दुकान पर कब्जा नहीं करने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
7. दुकान एवं दुकान के आस–पास सफाई दुकानदार को रखनी होगी।
8. दुकानों में किराणा सामग्री, ग्रोसरी आईटम, स्ट्रेशनरी सब्जी, दूध, आईसक्रीम, आटा चक्की/टेलरिंग कार्य/Appareal shop, दुपहिया वाहन रिपेयर एवं पंचर, विधुत संबंधी सामग्री, फार्मेसी/दवाईयॉ, सेलून/ब्यूटी पार्लर/ कपडों की प्रेस, विधुत आईटम एवं विधुत संबंधित रिपेयर, ज्यूस/फास्ट फूड आदि के लिए निविदाऍ निविदाऍ आमंत्रित है।

संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कारण बताये कभी भी निविदा रद्द करने/स्वीकार करने का अधिकार पूर्ण सुरक्षित है। सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद हाने पर अंन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान अविकानगर का होगा।

(संजय शर्मा)
प्रभारी, क्रय अनुभाग

Digitally signed by SANJAY SHARMA
Date:Tue Mar 16 10:42:55 IST 2021
Reason: Approved

वितरण:–

1. प्रभारी, ए.के.एम.यनिट को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
2. सभी सूचना पट्ट अविकानगर
3. सचिव नगर पालिका, मालपुरा
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मालपुरा
5. ग्राम पंचायत चांदसेन/डिग्गी